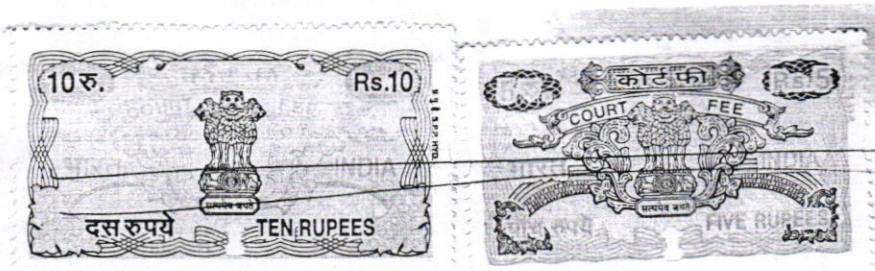

BEFORE THE BOARD OF REVENUE , MADHYA PRADESH, GWALIOR

M-1318-II/2011

Name		Raghuveer Singh
Father's Name	:	S/o (Late) Maharaj Rameshwar Singhji
Age		39 years
Occupation		Farming
Address		Bharat Raj Bhawan, P.O. Multhan (Malwa) Tehsil Badnawar, Dist. Dhar (M.P.)

::Petitioner

Vs.

S. N. Darro
Tehsildar, Badnawar, Dist. Dhar (M.P.)

::Respondent

APPLICATION FOR INITIATING CONTEMPT FOR VIOLATION OF COURT ORDER No. 507-ONE/11 & 508-ONE/11 DATED 23.03.2011

The Petitioner respectfully submits as under :

1. The Petitioner had filed a revision petition before Hon'ble Revenue Board and the same was allowed by order No. 507-One/11 dated 23.03.2011. (Annexure - P1)

2. The operative part of order reads as under :

   " . . . . .दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि तहसीलदार, बदनावर द्वारा पारित आदेश दिनांक ११-१२-५१ का कार्यान्वयन १५ दिवस में किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए जायें । "

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला धार

प्रकरण क्रमांक विविध 1318-दो/11

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
24-7-2018	उभय पक्ष को सुना गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर, जिला धार के प्रकरण क्रमांक 38/09-10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-10 के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 507-एक/11 में दिनांक 23-3-11 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त कर, तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 11-12-59 का क्रियान्वयन 15 दिवस में किये जाने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । राजस्व मण्डल के उक्त आदेश का क्रियान्वयन हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश का क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर आवेदक द्वारा तहसीलदार के विरूद्ध Contempt of court की कार्यवाही किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है । अतः तहसीलदार का उक्त कृत्य Contempt of court की श्रेणी में आता है । उनके द्वारा तहसीलदार के विरूद्ध Contempt of court की कार्यवाही की जाकर, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23-3-11 का क्रियान्वयन कराये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया । 3/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है, इसलिए प्रश्नाधीन शासकीय भूमि आवेदक के नाम अंकित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा 49 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलम्ब से आदेश का अमल कराना चाहता है, जो कि विधि विपरीत है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के	

विविध 1318-II/11 - एम

आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाये।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 507-एक/11 में पारित आदेश दिनांक 23-3-11 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 87/2012 आदेश दिनांक 25-7-2013 द्वारा निरस्त कर दिया है । ऐसी स्थिति में उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है । स्पष्ट है कि प्रकरण में Contempt of court का कोई आधार नहीं है, अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

अध्यक्ष